6.1.21 फरार्की ~~पेश~~ / वकील वादी उपस्थित हैं / बहस सुनी / वास्ते आदेश दिनांक 15.2.21 को पेश हो /

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

पत्रावली पेश / वकील वादी उपस्थित हैं / बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर सम्यक विचार किया गया / दौराने बहस विद्वान अधिवादी द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहरा कर कथन किये कि माफी शर्क में ली रिजूम्ड हो चुकी हैं उसे पुनः अंकित किया जा रहा हैं / अतः उक्त अंकन को हटाया जावे का आदेश प्रदान किया जावे / खड़ा शब्द का अतिरिक्त अंकन भी हटाया जावे /

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया /

उपखण्ड अ[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरसह अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी द्वारा वादपत्र के कथन, तर्क, वांछित अनुतोष, प्रतिवादी के अभाव, एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर विचार किया गया।

वादी द्वारा नकल जमाबन्दी बन्दोबस्त ग्राम खैराबाद संवत 2014-2023 खाता नम्बर 391 392, नकल कर्ब मिलान ग्राम खैराबाद संवत् सन् 2004-2024, नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद 2072-75 खाता नं. 920c, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम खैराबाद रक० नं० 2565, 2567 2568 संवत् 2075,

हल्व नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद सं० 2014-33 खाता नम्बर 392 पर खसरा नम्बर 2267, 2268, 2269, 2270 किता 4 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा भूमि रामगोपाल बेटा रामनारायण, बाला बेटा रामप्रसाद, लक्ष्मीनारायण फूलचंद, पि० नंदकिशोर के नाम पर दर्ज किई थी उक्त भूमि पर साक्षी रिजूम्ड 1-7-58 का नोट अंकित है अर्थात उक्त भूमि की साक्षी दिनाँक 1-7-1958 को ही गृहण हो चुकी है तथा उक्त भूमि के नाहलकार खाने में नॉमक उव धर्म क्रमशः उपभोक्ता तथा कृषक अंकित किये हुये है।

बन्दोबस्त के उपरान्त उक्त भूमि सांविक रक० नं० 2267, 2268, 2269, 2270 के दाग खसरा नम्बर 2565, 2567 व 2568 पैदा किये गये है उक्त भूमि के दाग उक्त खसरा नम्बर अन्य सहखातेदारान् सहित वादी के

खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही सब इन्टिग्रियल जज	नाजर के हस्ताक्षर हुक्म की तामील

नाम पर दर्ज की वादी पूर्व खोंदारा रामगोपाल का पुत्र है।

जवाब दावा में वादी के वादपत्र को स्वीकार करने में कोई विशेष अंकित नहीं किया गया है जो जिलेवारी के कथन है कि माफी रिजर्व्ड शब्द वर्ष से राजस्व प्रयोजित नहीं होते हैं।

चूंकि प्रकरण में वर्णित भूमि पर से माफी 1-1-58 से ही रिजर्व्ड की जा चुकी है, ऐसी सूरत में उक्त अंकन अब मात्र विलावरी की प्रतीत होते हैं साथ ही साथ खोंदारों के साथ अंकित थड़ा शब्द की उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादगत भूमि ग्राम खैराबाद खसरा नम्बर 2565, 2567 2568 किता 3 रकबा 5.19 हैक्टर पर से "माफी रिजर्व्ड व थड़ा" का अंकन हटाया जाता है तदनुसार डिक्री सुलिखित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० द० हो।

निर्णय आज दि० 1/1/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया।

(दशल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Civil Civil
Part V-10

अंतिम डिक्री व मुकद्दमे [redacted]

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

व इजलास देशल दान (I.A.S.)

जगदीश उर्फ जगदीश चंद बनाम सरकार

दावा बाबत 88.89.9 R.T.Act.

मुकद्दमा नं 139 सन् 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इस्तिसाल कतई रू-ब-रू मुसम्मात देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी श्री घनश्याम धाकड़ एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार सरकार

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खैरावाद खसरा नम्बर 2565, 2567, 2568 किता 3 कुल रकबा 5.19 है. पर से "माफी रिजर्व्ड व थड़ा" का अंकन हटाया जाता है। रिकार्ड में अमल हो।

चीज मुबालिग बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व मारुह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 01 2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पश्चकार अपना-अपना वहन करें

रा. पु. को. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी